न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश विश्नोई–I, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 39/2020

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी–

1. अशोक कुमार पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी वेरा सेदाघर, सिवाना (मैसर्स अम्बिका किराणा स्टोर सिवाना का मालिक)
2. मंगलचंद कसेरा प्रोपराईटर ऑफ मैसर्स एमके ट्रेडर्स, 6ए अनुपम विहार, कुरखेरा अनाज मण्डी के पीछे सीकर रोड जयपुर
3. अशोक पुत्र रामफल पार्टनर ऑफ मैसर्स चौधरी मिल्क फूड प्रोडक्ट्स मैन जिन्द सफीदूर रोड अमरावाली खेडा जिन्द (हरियाणा)
4. विनोद कुमार पुत्र रमेश कुमार पार्टनर ऑफ मैसर्स चौधरी मिल्क फूड प्रोडक्ट्स मैन जिन्द सफीदूर रोड अमरावाली खेडा जिन्द (हरियाणा)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुरेश कुमार पूनड़, अप्रार्थीगण संख्या 1, 3 व 4 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद तामील अनुपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:38:59 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

आदेश

दिनांक : 07.01.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी की फर्म मैसर्स अम्बिका किराणा स्टोर सिवाना जिला बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक **12.02.2020** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड डेयरी टच** जो कि 500 ग्राम की पैकिंग में एक कार्टून में लगभग 10 किग्रा भरा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **500–500 ग्राम के कुल 4 पैकेट घी ब्राण्ड डेयरी टच** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1138** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड डेयरी टच** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड डेयरी टच** का नमूना **अवमानक (Sub-standard)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित। परिवाद का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 उक्त घी का निर्माता नहीं होकर अप्रार्थी संख्या 2 से क्रय कर अपनी दुकान पर बेचता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त घी के मापदण्ड व गुणवत्ता का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं था। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की फर्म द्वारा निर्मित घी के सैम्पल लेबोरेट्री जांच में वर्णित आंकडे अनुसार बी आर वेल्यू 43.20 आई है जबकि मानक वेल्यू 40.00 से 43.00 निर्धारित है। इस प्रकार इस वेल्यू में बहुत ही न्यून अन्तर आया है तथा इस [illegible] के फलस्वरूप उक्त खाद्य पदार्थ मानव जीवन के उपयोग हेतु किसी भी रूप में हानिकारक या प्राणघातक नहीं है। अप्रार्थीगण ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की किसी शर्त का जानबूझकर उल्लंघन नहीं किया है एवं अप्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 16:38:59 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अपने प्रतिष्ठान के संचालन के दौरान कोई अनियमितता, लापरवाही व त्रुटि कारित नहीं की गई है इसलिये इस प्रकरण में अप्रार्थीगण के प्रति नरम रूख अपनाते हुये प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **25.02.2020** मे उक्त नमूना **अवमानक (Sub-standard)** खाद्य का पाया गया है। इस पर अप्रार्थीगण को पदाभिहीत अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब/उजर प्रस्तुत नहीं किया गया। यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थीगण को तलब किया गया, जिस पर उनके अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षण के रूप मे जवाब प्रस्तुत किया गया हैं कि उक्त खाद्य पदार्थ का निर्धारित मानक वेल्यू में बहुत ही न्यून अन्तर आया है तथा इस अन्तर के फलस्वरूप उक्त खाद्य पदार्थ मानव जीवन के उपयोग हेतु किसी भी रूप में हानिकारक या प्राणघातक नहीं है जबकि जांच रिपोर्ट अनुसार B.R.R. of extracted fat at 40°C पर मानक स्तर 40–43 के मुकाबले में 43.20 पाया गया है जो कि यद्यपि न्यून अन्तर पाया गया हैं किन्तु अन्य निर्धारित मानक Baudouin Test नेगेटिव आना चाहिये जो कि पोजिटिव आया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त खाद्य पदार्थ की निर्धारित मानकता के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुख होने का प्रयास किया गया हैं क्योंकि किसी अन्य प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ क्रय करने के बाद अपने प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है तो उसकी गुणवता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 1 का हैं। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 3 व 4 खाद्य पदार्थ निर्माता इस खाद्य पदार्थ के मानक स्तर का होने के प्रति पूर्ण रूप से जिम्मेदार है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना अवमानक पाये जाने के तथ्य का कोई ठोस एवं विधिसम्मत जवाब नही है। लिहाजा अप्रार्थी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम,

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:38:59 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से रूपये 50,000/– अक्षरे रूपये पचास हजार का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 07.01.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई–I)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:38:59 IST
Reason: SelfAttested